14

Drug Warehouse and Logistics

Annexure -

कियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2020 – 2021

कार्यक्रम का नामः नियमित टीकाकरण

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): दूरस्थ सत्र स्थलों पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वैक्सिन पहुँचाने (Altenative Vaccine Delivery in Hard to reach Areas) के मद में

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): 14.2.4.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

Cold Chain Points से दूरस्थ टीकाकरण सत्र स्थलों पर टीकाकरण दिवस के दिन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वैक्सिन एवं लॉजिस्टिक्स ससमय पहुँचाने एवं वापस लाने (Alternative Vaccine Delivery in Hard to reach areas) हेतु राशि का आवंटन किया गया है।

इकाई राशि (रू० में) : 200/– रूपये प्रति सत्र स्थल प्रति दिन ।

वित्तीय दिशा निर्देश :

वैसे दूरदराज के टीकाकरण सत्र स्थलों अर्थात जिनकी दूरी 30 कि.मी. (एक तरफ से 15 कि.मी.) अथवा इससे अधिक हो या नदी पार करना पड़ता हो या पहाड़ी क्षेत्र या इर्ट भटठा या खानाबदोश आदि दुर्गम क्षेत्रों के लिए 200/– रूपये प्रति टीकाकरण सत्र स्थल पर प्रतिदिन की दर से ससमय वैक्सिन एवं लॉजिस्टिक्स पहुँचाने एवं सत्र समाप्ति के पश्चात् वैक्सिन, लॉजिस्टिक्स एवं टीकाकरण अपशिष्ट को Cold Chain Points पर वापस लाने हेतु व्यय किया जाना है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) **(ख)** **(ग)**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम :

डा.नरेन्द्र कुमार सिंहा, अपर निदेशक –सह– राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी
रामरतन, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, पोलियो एवं आर.आई.

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर :

9470003014/9431005973

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

Annexure -

कियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2020 – 2021

कार्यक्रम का नामः नियमित टीकाकरण

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): अतिदुर्गम सत्र स्थलों पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वैक्सिन पहुँचाने (Altenative Vaccine Delivery in Very Hard to reach Areas) के मद में

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): 14.2.4.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

Cold Chain Points से अतिदुर्गम टीकाकरण सत्र स्थलों पर टीकाकरण दिवस के दिन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वैक्सिन एवं लॉजिस्टिक्स ससमय पहुँचाने एवं वापस लाने (Alternative Vaccine Delivery in Very Hard to reach areas) हेतु राशि का आवंटन किया गया है।

इकाई राशि (रू० में) 450/– रूपये प्रति सत्र स्थल प्रति माह ।

वित्तीय दिशा निर्देश :

वैसे टीकाकरण सत्र स्थल जो अति दुर्गम (Very Hrad to Reach Area) अर्थात जहां आने –जाने के लिए नाव/अन्य वाहन अर्थात् ट्रैक्टर/पिक अप वैन आदि के बगैर जाना संभव नही हो उन टीकाकरण सत्र स्थलों पर ससमय वैक्सिन एवं लॉजिस्टिक्स पहुँचाने एवं सत्र समाप्ति के पश्चात् वैक्सिन, लॉजिस्टिक्स एवं टीकाकरण अपशिष्ट को Cold Chain Points पर वापस लाने हेतु 450/– रू0 प्रति टीकाकरण सत्र स्थल प्रति माह की दर से व्यय किया जाना है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) **(ख)** **(ग)**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम :

डा.नरेन्द्र कुमार सिंहा, अपर निदेशक –सह– राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी
रामरतन, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, पोलियो एवं आर.आई.

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर :

9470003014/9431005973

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

Annexure -

कियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2020 – 2021

कार्यक्रम का नामः नियमित टीकाकरण

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य टीकाकरण सत्र स्थलों पर वैक्सिन पहुँचाने (Alternative Vaccine Delivery in other Areas) के मद में

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): 14.2.5

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

Cold Chain Points से वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रति टीकाकरण दिवस के दिन शहरी/ग्रामीण सत्र स्थल तक वैक्सिन एवं लॉजिस्टिक्स पहुँचाने एवं सत्र समाप्ति के पश्चात् वैक्सिन, लॉजिस्टिक्स एवं टीकाकरण अपशिष्ट को वापस Cold Chian Point पर लाने हेतु इस राशि का व्यय किया जाना है।

इकाई राशि (रू० में) :

90/– रू0 प्रति ग्रामीण /शहरी सत्र स्थल प्रति दिन।

वित्तीय दिशा निर्देश :

नियमित टीकाकरण के तहत सामान्य टीकाकरण सत्रों के लिए 90/– रूपये प्रति टीकाकरण सत्र स्थल पर प्रतिदिन की दर से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में ससमय वैक्सिन एवं लॉजिस्टिक्स पहुँचाने तथा सत्र समाप्ति के पश्चात् वैक्सिन, लॉजिस्टिक्स एवं टीकाकरण अपशिष्ट को Cold Chain Points पर वापस लाने हेतु व्यय किया जाना है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) **(ख)** **(ग)**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम :

डा.नरेन्द्र कुमार सिंहा, अपर निदेशक –सह– राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी
रामरतन, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, पोलियो एवं आर.आई.

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर :

9470003014/9431005973

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

Annexure -

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2020 – 2021

कार्यक्रम का नाम: नियमित टीकाकरण

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): वैक्सिन परिवहन हेतु ईंधन (POL for Vaccine delivery from state to RVS, RVS to DVS & DVS to PHC/CHC) के मद में

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): 14.2.6

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

राज्य / क्षेत्रीय वैक्सिन भंडार से जिला स्तर तक एवं जिला से नीचे के Cold Chain Point तक नियमित रूप से वैक्सिन एवं टीकाकरण से सम्बन्धित अन्य लॉजिस्टिक्स की आपूर्त्ति को सुनिश्चित करने के उद्येश्य परिवहन हेतु एवं वैक्सीन भान की मरम्मती एवं रख –रखाव हेतु राशि आवंटित किया जा रहा है।

इकाई राशि (रू० में) :

राज्य वैक्सिन भंडार ,पटना से क्षेत्रीय वैक्सिन भंडार – दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नालंदा एवं सारण 45,000/– रू0, पूर्वी चम्पारण एवं औरंगाबाद के लिए 55,000/– रू0, भागलपुर के लिए 60,000/– रू0, सहरसा के लिए 65,000/– रू0, एवं पूर्णिया के लिए 70,000/–रू0 की दर से आवंटन दिया जा रहा है।

जिलों के लिए –

क्षेत्रीय वैक्सिन भंडार से जिलों के लिए 2000/– रू0 प्रति माह की दर से आवंटन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य से जिलों में प्रत्येक दो माह के अन्तराल पर नियमित टीकाकरण के लॉजिस्टिक्स को लाने एवं ले जाने के लिए राशि की व्यवस्था की जा रही है इसके अन्तर्गत वैसे जिले जो राज्य से लगभग 100 किलोमीटर से कम दूरी पर हैं उन जिलों के लिए 3500/– रू0 प्रति दो माह (Bimonthly basis) पर एवं वे जिले जिनकी दूरी 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से अधिक परन्तु 150 मिलोमीटर से कम है उन जिलों के लिए 4000/– रू0 प्रति दो माह (Bimonthly basis) पर एवं वे जिले जिनकी दूरी 150 किलोमीटर या 150 किलोमीटर से अधिक परन्तु 250 किलोमीटर से कम है, एन जिलों के लिए 4500/– रू0 प्रति दो माह (Bimonthly basis) पर एवं वे जिले जिनकी दूरी 250 किलोमीटर या इससे अधिक है उन जिलों को 5000/– रू0 प्रति दो माह (Bimonthly basis) की दर से राशि का आवंटन किया जा रहा है।

प्रा0स्वा0के0 के लिए : जिला से प्रा0स्वा0के0 तक वैक्सिन एवं लॉजिस्टिक्स आदि को पहुचाने हेतु रू0 600/– प्रति माह की दर से राशि का उपयोग किया जा सकता है। इस राशि का उपयोग जिला मुख्यालय में रखकर वैक्सिन वैन से Route chart बनाकर सभी प्रा0स्वा0के0 को वैक्सिन एवं सिरिंज की आपूर्त्ति करने हेतु भी किया जा सकता है।

वैक्सिन भान के लिए : जिला में उपलब्ध वैक्सिन भान के आवश्यकतानुसार रख – रखाव, मरम्मती आदि कार्यों हेतु 15000/– रू0 तक की राशि का व्यय किया जा सकता है।

विवरणी	दूरी	आवंटित राशि
क्षेत्रीय वैक्सिन भंडार से जिला		2000/– रू0 प्रतिमाह
राज्य से लॉजिस्टिक्स ले जाने हेतु	<100 कि.मी. ≥100 कि.मी.< 150 कि.मी. ≥150 कि.मी.< 250 कि.मी. ≥250 कि.मी. या अधिक	3500/– रू. प्रति दो माह पर 4000/–रू. प्रति दो माह पर 4500/–रू. प्रति दो माह पर 5000/–रू. प्रति दो माह पर

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

वित्तीय दिशा निर्देश :

राज्य या क्षेत्रीय वैक्सिन भंडार से जिला स्तर तक एवं जिला से प्रा.स्वा.के. तक नियमित रूप से वैक्सिन एवं टीकाकरण से सम्बन्धित अन्य लॉजिस्टिक्स की आपूर्त्ति को सुनिश्चित करने के उद्येश्य से दिया जा रहा है। इस राशि का उपयोग वैक्सिन वाहन के ईंधन / इसी कार्य के लिए भाड़े पर वाहन/मजदूरी की व्यवस्था करने हेतु किया जा सकता है।

नोटः जिला से प्रा०स्वा०के० तक वैक्सिन एवं लॉजिस्टिक्स आदि को पहुचाने हेतु राशि का उपयोग जिला मुख्यालय में रखकर वैक्सिन वैन से Route chart बनाकर सभी प्रा०स्वा०के० को वैक्सिन एवं सिरिंज की आपूर्त्ति करने हेतु किया जा सकता है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम :

डा.नरेन्द्र कुमार सिंहा, अपर निदेशक –सह– राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी
रामरतन, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, पोलियो एवं आर.आई.

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर :

9470003014 / 9431005973

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

Annexure –

कियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2020 – 2021

कार्यक्रम का नाम: नियमित टीकाकरण

बजट / एफ०एम०आर शीर्ष (ROP के आधार पर): शीत–श्रृंखला के रख–रखाव (Cold Chain Maintenance)

नया बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): 14.2.7

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : शीत श्रृंखला संबंधित विभिन्न Electrical & Non Electrical उपकरणों की मरम्मती, संधारण एवं रख–रखाव हेतु राशि का व्यय सुनिश्चित करे।

ईकाई राशि (रू० में) :–

(क) रू0 300 / – प्रति DF & ILR

(ख) रू0 50,000 / – प्रति WIC/WIF maintenance & POL of Generator and Rs. 80,000/- for Champaran – West प्रतिवर्ष।

वित्तीय दिशा निर्देश :

जिलान्तर्गत सभी शीत–श्रृंखला उपकरणों की मरम्मती, रख–रखाव, लॉगर का चार्जर एवं शीत–श्रृंखला गृह में आवश्यक कार्यों के निष्पादन हेतु राशि आवंटित की जा रही है। चूँकि इस मद की राशि का उपयोग मरम्मति संबंधित कार्य के लिए भी है। अतः आवंटित राशि के पूर्णरूपेण व्यय कर लिये जाने के पश्चात् यदि आवश्यक हो तो राज्य स्तर से इसकी अधियाचना की जा सकती है।

नोटः जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी उपरोक्त राशि का उपयोग जिला में ही रख कर आवश्यकतानुसार व्यय करेंगें।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) **(ख)** **(ग)**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम
डा.नरेन्द्र कुमार सिंहा, अपर निदेशक –सह– राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी
रामरतन, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, पोलियो एवं आर.आई.
ई. आलोक रंजन, सलाहकार, शीत्– श्रृंखला

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर
9470003014 / 9431005973 / 8002900900

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Man...
State Health Society, Bihar, ...

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष–2020-21

कार्यक्रम का नामः NTEP

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर) : Drugs transportion charge
नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर) : 14.2.12

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी –

राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम में यक्ष्मा निरोधी दवा केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, नई दिल्ली भारत सरकार के द्वारा जी0एम0एस0डी0/सी0एम0एस0डी0 एवं अन्य के माध्यम से राज्य को प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त कर, राज्य के द्वारा जिलों को भेजी जाती है तथा जिलों के द्वारा संबंधित डॉट्स सेन्टर पर भेजी जाती है ।

इकाई राशि (रू0 में) :– 2176000.00 (इक्कीस लाख छिहतर हजार रूपये मात्र)

वित्तीय दिशा – निर्देश :–

यक्ष्मा मरीजों को निर्वाध रूप से पूरी खुराक ससमय उपलब्ध कराने हेतु परिवहन पर होने वाले व्यय का भुगतान इस मद से किया जाएगा । यक्ष्मा मरीजों को दवा उपलब्ध कराने की पूर्ण जवाबदेही जिला / संस्थान की होगी ।

संलग्नः–

- Financial Management Mannual for State and District Societies
- Guideline of District Control Society

उक्त निर्देशिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :– डा0 (मेजर) के0 एन0 सहाय
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :–0612- 2636383/ 9473197731

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

Annexure -3

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2020–21

कार्यक्रम का नाम: मातृ–स्वास्थ्य
बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): 14.2.14

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर):
Incentive for carrying HIV / Syphilis/ Hep B test Kit/ Green Channel logistics from ILR Point/PHC in thermo flask to VHSND session site.

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: भारत सरकार 2020 तक HIV एवं Syphilis के लिए माँ से बाल संचरण (EMTCT) के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने HIV के लिए गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक (Universal) जाँच के लिए नीतिगत निर्णय लिया है और आवश्यक प्रसवपूर्व देखभाल पैकेज के एक भाग के रूप में सभी स्तरों पर HIV एवं Syphilis स्क्रीनिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि इसे समुदाय स्तर तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थान तक उपलब्ध कराया जाए।

मातृ एवं नवजात की रूग्णता/बीमारी और मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रथम तिमाही में ANC के दौरान गर्भवती महिलाओं की सिफलिस के लिए जाँच करना (Screening), मातृ सिफलिस की उपचार करना तथा जन्मजात सिफलिस (Congenital Syphilis) का उन्मूलन करना जरूरी है। इसके आलोक में भारत सरकार के निर्णय अनुसार प्रत्येक गर्भवती महिला की प्रथम तिमाही में ही सिफलिस के लिए जाँच की जानी है।

HIV और सिफलिस किट को सुरक्षित रखने के लिए ILR Point से VHSND सत्र पर थर्मसफ्लासक के माध्यम से शीत श्रृंखला बनाए रखते हुए एक AVD के द्वारा पहुँचाया जाना एवं वापस लाया जाना है।

इकाई राशि (रू० में): 100/–रू प्रति सत्र छः माह हेतु

वित्तीय दिशा निर्देश: सभी तरह के VHSND सत्र पर (साधारण, दुर्गम या अति दुर्गम) HIV, सिफलिस और हेपेटाइटिस–बी जाँच किट का ILR Point से थर्मोफ्लास्क के माध्यम से शीत–श्रृंखला बनाये रखने, जाने एवं वापस लाने हेतु 100/–रू० प्रति VHSND सत्र स्थल प्रतिदिन की दर से व्यय किया जाना है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी नाम: डॉ० सरिता, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, रा० स्वा० समिति, बिहार।
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 9470003004

सरिता
Dr. SARITA
State Programmer Officer
State Health Society
Bihar, Patna

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna